न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
23/2018	2018/00102	23.06.2018	24.02.2021

1. श्री शक्ति सिंह पिता लक्ष्मण सिंह राजपुत निवासी अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़ (राज.)
:– प्रार्थी

–: बनाम :–

1. श्रीमती शांतिबाई पत्नि राधेश्याम भावसार निवासी अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्री सरपंच ग्राम पंचायत अरनोद निवासी अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3. श्री सचिव ग्राम पंचायत अरनोद निवासी अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़ (राज.)
4. श्री विकास अधिकारी, पंचायत समिति अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत बाबत निरस्त किये जाने पट्टा विलेख दिनांक 20.12.2004 ग्राम पंचायत अरनोद

उपस्थिति :–
1. श्री अरूण कुमार पण्ड्या अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अशोक कुमार राठौर अधिवक्ता अप्रार्थी

–: आदेश :– दिनांक 24.02.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत विरूद्ध विवादित पट्टा कमांक संकल्प संख्या 24 दिनांक 20.12.2004 ग्राम पंचायत अरनोद द्वारा विपक्षी संख्या–1 (श्रीमती शान्तिबाई पत्नि राधेश्याम भावसार) के नाम 12 x 15 = 180 वर्गफीट का राजस्व ग्राम अरनोद की आबादी भूमि में जारी किया गया। जबकि विपक्षी संख्या–1 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख में उल्लेखित चतुर्थ सीमा अनुसार उत्तर एवं पश्चिम की स्थिति गलत दर्शाई गई है अर्थात् विपक्षी संख्या–1 को आवंटित रकबा मौका स्थिति अनुसार उपलब्ध ही नहीं है। इसके विपरीत निगरानीकार के पास उपलब्ध आवास गृह का पट्टा उसके द्वारा पडौसी श्री प्रहलाद सिंह राजपुत के आवंटित पट्टे का 1/2 भाग पंजीकृत विकय विलेख से कय शुदा रकबा होकर उसकी चतुर्थ सीमा पूर्व में अरनोद गौतमेश्वर रोड पश्चिम में प्रहलाद सिंह का मकान दक्षिण में अरनोद गौतमेश्वर रोड तथा उत्तर दिशा में पंचायत की भूमि। यह कि विपक्षी संख्या–1 के पक्ष में जारी विवादित पट्टे से निगरानीकार के मुख्य द्वार सडक मार्गो की ओर रिक्त पडी भूमि सड़क मार्ग अरनोद गोतमेश्वर के सड़क सीमा की भूमि है जिसका अवैधानिक आवंटन विपक्षी संख्या–1 के पक्ष में किए जाने से निगरानीकार द्वारा संचालित साईकल रिपेयरिंग की दुकान एवं मकान का मुख्य द्वार रास्ता एवं हवा रोशनी बाधित हो जाएगी फिर भी ग्राम पंचायत में प्रभुत्व रखने वाले दबंग व्यक्तियों द्वारा बिना किसी युक्ति–युक्त जांच एवं कार्यवाही के विवादित पट्टा विलेख विपक्षी संख्या–1 के पक्ष में जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है।

अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षीया के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 20.12.2004 को खारीज फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किए गए तथा अधिनस्थ से मूल पत्रावली तलब की गई विपक्षीगण की बाद तामील रिपोर्ट विपक्षी संख्या 1 कि ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार राठौर उपस्थित एवं विपक्षी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री ललीत कुमार भावसार उपस्थित हुए तथा जवाब निगरानी दिनांक 29.03.2019 को प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली में निगरानीकार द्वारा दिनांक 29.07.2019 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 CPC 1908 के तहत प्रस्तुत करते हुए विपक्षिया को आवंटित पट्टा जरिये पंजीकृत विकय विलेख दिनांक 18.04.2019 के द्वारा अन्य पक्षकार श्री हर्षवर्धन सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह को विकय अन्तरित कर दिए जाने से केता श्री हर्षवर्धन सिंह को आवश्यक पक्षकार बनाने की मांग की गई जिसे न्यायालय द्वारा धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1982 के आधार पर खारीज किया गया तथा इसी दिवस को निगरानीकार द्वारा प्रकरण में न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसे भी अस्वीकार किया गया।

पत्रावली विविध कार्यवाहियों उपरान्त वास्ते बहस अन्तिम हेतु दिनांक 19.02.2021 को पेश हुई। बहस उभय पक्ष अन्तिम सुनी गई दौराने बहस वकील निगरानीकार द्वारा निगरानी में वर्णित कथनों को दोहराते हुए जवाब विपक्षीगण संख्या 2 व 3 का खण्डन करते हुए प्रस्तुत लिखित बहस के अनुसार मुख्य रूप से कथन किये कि आवंटी/विपक्षी संख्या 1 (श्रीमती शान्तिबाई पत्नि राधेश्याम भावसार) अरनोद में निवास नहीं करती है वह मध्यप्रदेश में रहती है तथा उसके द्वारा जब वर्ष 1999 दिनांक 29.03.1999 में 5000 रूपये में आवासीय भूखण्ड का जमाराशि जरिये रसीद संख्या 994 दिनांक 29.03.2019 से कय किया गया था जिस अन्तर्गत आबादी भूमि का विवरण अंकित नहीं है और उक्त पट्टा विलेख पर विपक्षी संख्या 1 के हस्ताक्षर नहीं है तथा स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर भी नहीं है वर्ष 1999 के पश्चात वर्ष 2004 के दौरान ग्राम पंचायत के समक्ष पूर्व में जारी पट्टा विलेख दिनांक 29.03.1999 पट्टाकृत भूमि पर अपना निरन्तर कब्जा बताते हुए उक्त पट्टे के नवीनीकरण की मांग किया जाना अनुचित रहा है क्योंकि विपक्षी संख्या–1 द्वारा आवेदित भूखण्ड भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है, यदि रहा था तो वर्ष 1999 से अब तक उक्त पट्टे का उपयोग अपने आवास गृह हेतु क्यों नहीं किया गया जिससे संशय होता है कि विपक्षिया के पक्ष में जारी भूखण्ड पट्टा वर्तमान स्थल का नहीं होकर कहीं ओर का है।

यह कि विपक्षी संख्या–1 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख की भूमि पर श्री प्रहलाद सिंह पुत्र मुकन्दर सिंह राजपुत द्वारा वर्ष 2008 में एक दीवानी वाद संख्या 56/2008 भी विचाराधीन हो दिनांक 28.05.2014 को खारीज हुआ था तथा निगरानीकार द्वारा विपक्षी संख्या–1 के विरूद्ध पुनः एक सिविल दावा माननीय सिविल न्यायालय (व.ख.) अरनोद के समक्ष जरिये प्रकरण संख्या 52/2017 विचाराधीन है तथा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 के साथ निगरानीकार ने एक TI प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था जो जरिये प्रकरण संख्या 43/19 से दर्ज रिकार्ड हो माननीय विचारण न्यायालय द्वारा निगरानी के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति हेतु अस्वीकृत कर रखा है।

इसके विपरीत विपक्षी संख्या 1 द्वारा पट्टाकृत भूमि का अन्यथा बेचान जरिये पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 18.04.2019 के द्वारा केता श्री हर्षवर्धन सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह निवासी अरनोद जो विवादित भूमि के पश्चिम–दक्षिण भूमि भूखण्ड का मालिक है को कर दिया जो माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कारक होकर अवमानना प्रकरण योग्य है।

यह कि विपक्षी संख्या–1 के पक्ष में जारी विवादित पट्टा विलेख दिनांक 29.03.1999 नवीनीकृत दिनांक 20.12.2004 क्षैत्रफल 12 x 15 = 180 वर्गफीट को अपास्त नहीं किया जाता है तो निगरानीकार को अपूरणीय क्षति कारित होगी क्योंकि उक्त पट्टा विलेख के अस्तित्व में रहते और उस पर निर्माण कर दिए जाने की स्थिति में निगरानीकार के आवास गृह एवं दुकान का फन्ट दब जाएगा जबकि मौके पर उपलब्ध भूमि रकबा सड़क मार्ग अरनोद–गौतमेश्वर सड़क सीमा एवं आम जन के उपयोग–उपभोग की भूमि है। अतः विवादित पट्टा निरस्त फरमावें।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

Scanned with CamScanner

इसी प्रकम में उपस्थित अधिवक्ता विपक्षी संख्या–1 एवं 2–3 द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत निगरानी मेमों का खण्डन करते हुए प्रस्तुत जवाब का हवाला देते हुए अवगत कराया कि विपक्षी संख्या–1 को उक्त आवासीय भूखण्ड वर्ष 1999 के दौरान बतौर विक्रय राशि 5000 रूपये पर ग्राम की आबादी भूमि में नियमानुसार आवंटित किया गया है विपक्षिया द्वारा उक्त पट्टे का नवीनीकरण चाहा जाने पर ग्राम पंचायत के समक्ष विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कम में प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 20.11.2004 को लिए गए निर्णय अनुसार आम सूचना पत्र अन्तर्गत नियम 148 तथा निरीक्षण पंचगण दल का निर्धारण कर आगामी कोरम तक आक्षेप निर्धारण एवं निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुती हेतु लिखा गया था जिसके संबंध में निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 20.11.2004 को प्रस्तुत रिपोर्ट आधार पर विपक्षी संख्या 1 का पट्टा जरिये प्रस्ताव निर्णय संख्या 24 दिनांक 20.12.2004 को नवीनीकृत किया है। उक्त पट्टा विलेख से निगरानीकार के किन्हीं हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टा विलेख की भूमि एवं निगरानीकार के आवासरत भूखण्ड के मध्य लगभग 8 से 10 फीट की गली छुटी हुई है, फिर भी निगरानीकार विपक्षिया के पट्टे कृत भूमि का अपने दुकान कार्य एवं भंगार रखने के लिए मौके पर खुली एवं आरक्षित रखवाना चाहता है। अतः निगरानी खारीज योग्य है।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रस्तुत निगरानी मेमों दिनांक 03/04/2018, जवाब विपक्षीगण दिनांक 29.03.2019 विवादित पट्टा विलेख दिनांक 29.03.1999 नवीनीकृत दिनांक 20.12.2004, संकल्प संख्या 24 दिनांक 20.12.2004 निरीक्षण रिपोर्ट पंचगण दिनांक 20.12.2004, सूचना पत्र नियम 148 पंचायतीराज नियम 1996, RTI सूचना जवाब पत्र ग्राम पंचायत अरनोद दिनांक 16.01.2018, RTI शुल्क रसीद संख्या 68 दिनांक 05.01.2018, नकल छायाप्रति प्रस्ताव संख्या 16,17,18 दिनांक 06.09.2004 निर्णित वाद प्रकरण संख्य 56/2008 प्रहलाद सिंह बनाम सरपंच सचिव एवं शान्ति बाई निर्णय दिनांक 28.05. 2014, वाद मेमों एवं नकल आदेशिकाएं प्रकरण संख्या 52/17 उनवान श्री शक्ति सिंह बनाम श्रीमती शान्ति बाई, रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रकरण संख्या 28/2018 कमांक 173 दिनांक 13.02.2019 पर्चा मौका संयुक्त सचिव पटवारी अरनोद दिनांक 19.07.2019, निर्माण स्वीकृति पत्र दिनांक 08.04.2007 विपक्षिया, पंजीकृत विक्रय विलेख विवादित भूखण्ड पट्टा विलेख दिनांक 20.12.2004 पंजीयन दस्तावेज दिनांक 18.04.2019, अस्थाई निषेधज्ञा आदेश प्रकरण संख्या 43/2019 दिनांक 29.03.2019 एवं संलग्न समस्त नक्शा मौका स्थिति चतुर्थ सीमा विवादित स्थल के साथ–साथ प्रकरण पर लागु प्रचलित विधियों का गहनता पूर्वक अवलोकन अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि प्रकरण में विचाराधीन पट्टा विलेख दिनांक 29.03.1999 नवीनीकृत दिनांक 20.12.2004 के कारण बार–बार मौका स्थिति बाबत् विभिन्न पडोसी पक्षकारान एवं विपक्षी संख्या–1 पट्टाधारी (श्रीमती शान्तिबाई पत्नि राधेश्याम भावसार) के मध्य पूर्व में सिविल वाद प्रकरण संख्या 56/2008 प्रहलाद सिंह बनाम कैलाश मीणा सरपंच, लक्ष्मण लाल खटीक, सचिव ग्राम पंचायत अरनोद एवं श्रीमती शान्तिबाई तथा वर्तमान में सिविल वाद संख्या C O 48/17 एवं CS 52/17 श्री शक्ति सिंह (निगरानीकार) बनाम श्रीमती शान्ति बाई विपक्षिया के मध्य मौका स्थिति के अध्याधीन विचाराधीन है।

प्रकरण में जारी विवादित पट्टा विलेख दिनांक 29.03.1999 एवं नवीनीकृत दिनांक 20.12.2004 अन्तर्गत राजस्व ग्राम अरनोद की कौनसी आबादी भूमि में यह पट्टा जारी किया है का उल्लेख नहीं है और न ही विपक्षी संख्या 1 द्वारा केता श्री हर्षवर्धन सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह राजपुत के पक्ष में निष्पादित पट्टा विक्रय पंजीकृत दस्तावेज में भी आबादी भूमि का उल्लेख नहीं पाया गया है तथा विवादित पट्टा विलेख में दर्ज चतुर्थ सीमा **(East to West and North to south)** तथा पंजियन दस्तावेज के साथ संलग्न नक्शा भूमि में अंकित चतुर्थ सीमा E.W.–N.S. तथा संयुक्त पर्चा मौका (पटवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी) दिनांक 19.07.2019 में अंकित विस्तृत साईट प्लान अनुसार विवादित भूखण्ड की चतुर्थ सीमा अन्तर्गत पश्चिम एवं दक्षिण सीमा चिन्ह में प्रायः अन्तर आ जाता है जो संदेह उत्पन्न करता है।

जिला कलक्टर
(राज.)

Scanned with CamScanner

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौका रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेज आक्षेपित पट्टा विलेख को संशयप्रद एवं अनावश्यक साबित करते है। साथ ही विपक्षिया के पक्ष में वर्ष 1999 से जारी आबादी भूखण्ड पट्टा विलेख पर आदिनांक तक अर्थात् वर्ष 2021 तक उक्त पट्टे का उपयोग नहीं हो मौके पर विवादित बना हुआ है। साथ ही यह भी संज्ञान में आया कि विवादित पट्टाकृत भूखण्ड के पूर्व एवं दक्षिण में अरनोद–गोतमेश्वर ग्रामीण सड़क स्थित है जिसके अनुसार दक्षिणी सड़क मार्ग से उततर की ओर 20 फीट मध्य की भूमि के पश्चात निगरानीकार का आवासगृह एवं दुकान स्थित है।

उक्तानुसार विपक्षिया को आवंटित पट्टा विलेख में दर्शित चतुर्थ सीमा उत्तर–दक्षिण 12 फीट अर्थात् 20–12 = 8 फीट की गली निगरानीकार एवं पट्टाधारक के मध्य बचती है जो वर्तमान Town Ship Policy 2010 अधिष्ठित 2015 के अनुसार पर्याप्त नहीं है और PWD के IRC (Indian Road Congress) नियम 2012 के अनुसार किसी भी ग्रामीण सड़क मार्ग के मध्य से दोनों ओर न्युनतम 12.5 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य अभिमत योग्य नहीं है ऐसी स्थिति में विपक्षिया का भूखण्ड 15 E.W. x 12 N.S. = 180 वर्गफीट सड़क सीमा के दायरे में अवस्थित होना जाहिर होता है।

यहां यह भी उल्लेखनिय है कि प्रकरण में संलग्न निर्णय प्रति प्रकरण संख्या 56/2008 निर्णय दिनांक 28.05.2014 में कायम तनकी संख्या 1 इसी विवाद्यक बिन्दु पर अवधारित हो वादी के पक्ष में निर्णित भी हुई थी किन्तु अवशेष तनकीया 2 से 6 अन्तर्गत सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में नहीं होने से वाद स्थाई निषेधाज्ञा खारीज हुआ था परन्तु उसी विवाद्यक परिस्थिति बिन्दु पर नवीन पक्षकार निगरानीकार एवं विपक्षिया पट्टेधारक के मध्य उक्त आशय निस्तारण का वाद जरिये प्रकरण संख्या CO 48/17 एवं CS 52/17 माननीय ACJM न्यायालय अरनोद में विचाराधीन है।

साथ ही प्रकरण के विवाद्यकों के दृष्टिगत ग्राम पंचायत अरनोद के बैठक कार्यवही विवरण पंजिका वर्ष 2004–05 के प्रस्ताव संख्या 16,17 एवं 18 दिनांक 06.09.2004 के अनुसार प्रकरण में विवादित पट्टाकृत भूखण्ड भूमि का आगे अर्दन–फर्दन बेचान एवं पूर्व में विक्रित पट्टा विलेखों को भी निरस्त माना जाने का निर्णय लिया जाना दर्शित रिकार्ड है, किन्तु उक्त कम में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नकल आवेदन के कम में ग्राम पंचायत अरनोद सचिव द्वारा जारी अनुपलब्धता प्रमाण पत्र दिनांक 16.01.2018 को जारी किया गया जिसमें उक्त बैठक कार्यवाही पंजिका वर्ष 2004–05 के कोर्ट प्रकरण मे जमा होने का उल्लेख करते हुए निगरानीकार को दिनांक 06.09.2004 की अप्रमाणित नकल प्रोसेडिंग उपलब्ध कराई गई है।

उपर्युक्त समस्त विवेचनी बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष स्वरूप अवधारित एवं अभिनिर्धारित हाता है कि प्रकरण में विवादित विपक्षिया का पट्टा विलेख यदि उक्त स्थल के बजाय ग्राम की आबादी में उपलब्ध रिक्त भूमि में अन्तरित कर दिया जाए तो प्रकरण के पक्षकारान एवं मौका स्थिति के साथ–साथ विविध सिविल लिटिगेशन एवं विवाद प्रकरण समाप्त हो जाएंगे तथा आवंटी विपक्षिया को निर्विवादित भू–खण्ड समान माप क्षेत्रफल (180 वर्गफीट) का प्राप्त हो जाए तो वह अपना आवास गृह समुचित तौर पर निर्मित कर पाएगी।

अतः निगरानी निगरानीकार स्वीकार की जाकर विवादित पट्टा विलेख दिनांक 29.03.1999 नवीनीकृत 20.04.2004 के विवादित भूमि का होने से खारीज किया जाता है तथा ग्राम पंचायत अरनोद को निर्देश दिये जाते है कि खारीज पट्टा स्वामी श्रीमती शान्ति बाई पत्नी राधेश्याम भावसार को ग्राम की आबादी भूमि में इसी क्षैत्रफल 180 वर्गफीट का किसी सुगम पहुंच मार्ग पर निर्विवादित नवीन पट्टा 29.03.1999 के कम में निःशुल्क जारी किया जावे एवं मौके पर उपलब्ध रिक्त भूमि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 18 दिनांक 06.09.2004 के अनुसार सदैव सार्वजनिक हित में खाली रखी जावे उक्त भूखण्ड पर किसी प्रकार का पट्टा या निर्माण स्वीकृति जारी न हो सुनिश्चित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को सरे ईजलास सुनाया जाकर लिपिबद्ध किया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner